2025:CGHC:7417

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 504/2024

सुरक्षित करने का दिनांक 28/01/2025

पारित करने का दिनांक 12–02–2025

1– सतीश शर्मा पिता श्री रामनारायण शर्मा, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– ग्राम मेहरा, तहसील मेहगांव, थाना अमायन, जिला भिंड (म.प्र.)

2– श्रीमती रीता शर्मा पति श्री प्रमोद शर्मा उर्फ सोनू शर्मा, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– ग्राम मेहरा, तहसील मेहगांव, थाना अमायन, जिला भिंड (म.प्र.)

––– अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, थाना– केशकाल, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

–––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण की ओर से	: श्री अभिषेक सराफ, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य की ओर से	: श्री केशव प्रसाद गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी)

सी.ए.वी. निर्णय

1. यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985,कोंडागांव जिला कोंडागांव (छ.ग.) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (एनडीपीएस अधिनियम 1985) क्रमांक 15/2019 में दिनांक 06.02.2024 को पारित दोषसिद्धि व दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को दोषी करार देते हुए उन्हें निम्नानुसार सिद्धदोष व दण्डित किया:–

क्रमांक	धारा के अधीन दोषसिद्धि	कारावास दण्डादेश	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम शर्त
01	20(ख)(ii)(ग)	10 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 1,00,000/–	01 वर्ष का कठोर कारावास

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 11.08.2019 को रात्रि लगभग 01:05 बजे उपनिरीक्षक कृष्णा साहू (अ.सा.. 7) को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग सिल्वर रंग की कार जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक DL-5 CD-6440 है, जिस पर आगे की नंबर प्लेट पर जय राजपूताना तथा पीछे की नंबर प्लेट पर ठाकुर साहब लिखा है, में अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर जगदलपुर से जगदलपुर केशकाल होते हुए रायपुर जा रहे हैं। उन्होंने सूचना को रोजनामचा सनहा में लिखित रूप से दर्ज कराया, दो स्वतंत्र साक्षी मुजीब उस्मान एवं जेरेमिया मसीह को बुलाया, उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन नोटिस की तामीली कराया, मुखबिरी पंचनामा तैयार किया, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को सूचना भेजी। मौके पर उपस्थित रहने, अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन करने,स्वतंत्र साक्षियों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों एवं आवश्यक सामग्री के साथ बोरगांव चौक केशकाल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मुख्य मार्ग पर पहुंचकर उक्त स्थान पर नाका स्थापित किया। लगभग 0.05 बजे उक्त वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोका गया जिसमें 4 अभियुक्तों 2 पुरुष व 2 स्त्रियाँ बैठी हुई थी। पूछताछ करने पर उक्त वाहन के चालक ने अपना नाम दीवान सिंह पाल, चालक के बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने अपना नाम कु. अमु सिंह, पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सतीश शर्मा, तथा उसके बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने अपना नाम श्रीमती रीता शर्मा बताया। उन्हें गुप्त सूचना से अवगत कराया गया। अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन करने के पश्चात पुलिस ने उपरोक्त चारों व्यक्तियों तथा उक्त स्विफ्ट डिजायर कार जिसका पंजीकरण क्रमांक DL-5 CD-6440 है, की तलाशी ली। उपरोक्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर कुछ पैसे, उनके मोबाइल बरामद हुए तथा उक्त कार की तलाशी लेने पर कार की डिक्की में सेलोटेप व हरे रंग की प्लास्टिक पॉलिथीन में लिपटे 22 पैकेट प्रतिबंधित पदार्थ मिले। चखने, सूंघने आदि से पहचान करने पर उसमें गांजा पाया गया, जिसका वजन करने वाले अनित कुंजाम द्वारा वजन करने पर 22 पैकेट का कुल वजन 106.830 किलोग्राम पाया गया। तत्पश्चात पैकेटों को खोला गया तथा उनमें मौजूद गांजे को एक लोट में समरूप किया गया तथा 50-50 ग्राम के दो नमूने तैयार किए गए, तत्पश्चात शेष गांजे को 8 थैलियों (बोरियों) में भरकर 'ए' से 'एच' अंकित किया गया, अन्य थैलियों (बोरियों) में सेलोटेप तथा खाली प्लास्टिक पॉलिथीन रखकर सीलबंद किया गया। अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक पंचनामा एवं जब्ती मेमो तैयार किया गया। देहाती नालिशी (प्र.पी-64) विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू (अ.सा. 7) द्वारा लिखी गई, जिसके आधार पर उपनिरीक्षक शेखर लाल कश्यप (अ.सा. 5) द्वारा क्रमांकित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-6) दर्ज की गई, जब्त पदार्थ गांजे को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसमें न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्र.पी-74) के अनुसार रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया पदार्थ 'गांजा' पाया गया। अन्वेषण के उपरांत, अपीलार्थीगण और दो अभियुक्तों दीवान सिंह पाल और कु. अमु सिंह के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश, कोंडागांव के समक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. विद्वान विशेष न्यायाधीश, कोंडागांव ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन आरोप विरचित किए, उन्हें पढकर समझाया, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। विचारण के दौरान अभियुक्त कु. अमु सिंह और दीवान पाल सिंह फरार हो गए। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थीगण का परीक्षण किया, जिसमें अपीलार्थीगण ने अभियोजन साक्ष्य में उनके विरुद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया और झूठे आरोप का दावा किया, परंतु उन्होंने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना के उपरांत, दोनों अपीलार्थीगण को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन सिद्धदोष व दण्डित किया तथा उन्हें इस निर्णय के प्रारंभिक पैरा में उल्लिखित दण्डादेश दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि थाना केशकाल में पंजीकृत अपराध क्रमांक 93/2019 के संबंध में, जिससे वर्तमान विशेष दाण्डिक प्रकरण प्रोद्भूत है, 04 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा 04 के विरुद्ध आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 02 अभियुक्त दीवान सिंह पाल, जो वाहन चला रहा था तथा कु. अम्मू सिंह, जो वाहन की अगली सीट पर बैठे थे, फरार हैं। इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित निर्णय के अधीन, वर्तमान अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व दण्डित किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5.1 विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक कृष्ण साहू (अ.सा.–7) के कथनानुसार, संबंधित वाहन स्विफ्ट डिजायर जिसका पंजीकरण क्रमांक DL 05 CD–6440 है, की डिक्की से कुल 22 पैकेट प्रतिबंधित पदार्थ गांजा जब्त किया गया, परंतु सभी पैकेटों में मौजूद उक्त प्रतिबंधित पदार्थ के समरूपीकरण के बाद केवल दो नमूने तैयार किए गए, जिन्हें भूरे रंग के सेलो टेप के साथ हरे प्लास्टिक कवर में लपेटा गया था। परंतु, ऐसा नमूना राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.6.1989 को जारी स्थायी आदेश क्रमांक 1/89 के विरुद्ध है। आगे उनका तर्क है कि उक्त दो नमूने उक्त गांजे को सभी पैकेटों से लेने और उन्हें मिलाने के बाद समरूपीकरण के बाद एकत्र किए गए थे, जबकि स्थायी आदेश क्रमांक 1/89 के निर्देश 2.4 के अनुसार अभियोजन द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि सभी 22 पैकेट आकार और वजन में समान थे, समान चिह्नांकन वाले थे, प्रत्येक पैकेज की सामग्री ने औषधि पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम दिया। इस प्रकार, उक्त नमूनाकरण स्थायी आदेश क्रमांक 1/89 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए नमूनों के संग्रह की पवित्रता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित

नहीं की जा सकती है, इसलिए, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट का अवलंब नहीं किया जा सकता है। आगे उनका तर्क है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षिप्त में 'एनडीपीएस एक्ट') की धारा 52 (क) के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि न तो नमूने लिए गए हैं और न ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने तालिका तैयार की गई है और न ही प्रमाणित की गई है। आगे यह तर्क किया गया है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के गैर–अनुपालन पर विचार किए बिना अपीलार्थीगण को सिद्धदोष व दण्डित किया है, जो विकृत और अवैध है, अतः यह प्रार्थना की जाती है कि अपील स्वीकार की जाए तथा अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाए।

6. जवाब में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है वर्तमान अपीलार्थीगण के साथ–साथ दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों, जो फरार हैं, के संयुक्त कब्जे से कथित प्रतिबंधित पदार्थ गांजा जब्त किया गया था। आगे उनका तर्क है कि जब्त किए गए गांजे के समरूपीकरण के बाद दो नमूने एकत्र किए गए थे और उन्हें रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अपीलार्थीगण के विरुद्ध है, इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय है। अतः अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन किया है।

8. इस प्रकरण में, मुजीब उस्मान तथा जेरेमिया मसीह को विवेचना अधिकारी कृष्ण साहू (अ.सा. 7) द्वारा की गई तलाशी, जब्ती व अन्य कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी बताया गया है, अनित कुंजाम को वह व्यक्ति बताया गया है जिसने जब्त गांजा का वजन किया था, किंतु अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष उनका परीक्षण नहीं कराया गया है।

9. कृष्णा साहू (अ.सा. 7) इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी हैं। उन्होंने अपने कथन में व्यक्त किया है कि मुखबिर से गुप्त सूचना मिलने के बाद उन्होंने उसे रोजनामचा सनहा (प्र. पी–11–सी) में दर्ज कराया, आरक्षक ईश्वर नेताम (अ.सा. 2) के माध्यम से संबंधित अनुविभागीय पुलिस अधिकारी को सूचना दी, दो स्वतंत्र साक्षियों मुजीब उस्मान और जेरेमिया मसीह को बुलाया और अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन करते हुए और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के बाद उक्त स्वतंत्र साक्षियों के साथ बोरगांव चौक, केशकाल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पहुंचे। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। कुछ समय पश्चात स्विफ्ट डिजायर कार जिसका पंजीयन क्रमांक DL–05 CD–6440 है, आती दिखाई दी, जिसे रोका, जिसमें अपीलार्थी सहित 4 व्यक्ति बैठे थे, उक्त वाहन की डिक्की की तलाशी लेने पर उसमें हरे रंग की

प्लास्टिक पॉलिथीन एवं भूरे रंग के सेलोटेप में लिपटे 22 पैकेट मिले। उक्त पैकेटों में से कुछ मात्रा लेकर जांच करने पर पाया गया कि यह प्रतिबंधित पदार्थ गांजा है, जिसके कोई भी वैध दस्तावेज अपीलार्थी के पास नहीं थे, तत्पश्चात अनित कुंजाम द्वारा इसका वजन किया गया, जिसमें 22 पैकेटों का कुल वजन 106.830 किलोग्राम पाया गया, जिसका प्र. पी–52 उनके द्वारा वजन पंचनामा तैयार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि सभी 22 पैकेटों को खोलकर उनमें मौजूद सामग्री को अच्छी तरह से मिलाया गया तथा 50–50 ग्राम के दो नमूने तैयार कर सीलबंद किए गए तथा उन पर 'एक्स–1' तथा 'एक्स–2' अंकित किए गए। शेष प्रतिबंधित पदार्थ को प्लास्टिक की थैलियों (बोरी) में रखा गया तथा उन पर 'ए' से 'एच' अंकित किए गए। अन्य सामग्री अर्थात खाली पैकेट, सेलो टेप तथा पॉलीथीन को अलग–अलग पैकेट में रखकर उन पर एक्स.जेड अंकित किया गया। मौके पर कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने समस्त जब्त सामग्री अर्थात स्विफ्ट डिजायर केयर से जब्त गांजा, मोबाइल, आधार कार्ड, नकद राशि आदि को थाना केशकाल के मालखाना मुहर्रिर प्रधान आरक्षक सत्येंद्र दमक को सौंप दिया तथा रसीद प्र.पी.–68 प्राप्त की।

10. आरक्षक ईश्वर नेताम (अ.सा. 2) और सहायक उप-निरीक्षक ओम प्रकाश नरेटी (अ.सा. 4) विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू (अ.सा. 7) के साथ गए पुलिसकर्मी हैं, जो उनके साथ घटनास्थल पर भी गए थे। उन्होंने विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू (अ.सा. 7) द्वारा घटनास्थल पर की गई कार्यवाही के संबंध में किए गए कथन का भी समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. क्षमा यदु (अ.सा. 6) तहसीलदार हैं, जिन्होंने दिनांक 14–9–2019 को जब्त गांजा की तालिका (प्र.पी.–7) तैयार की है, जिसे थाना केशकाल के मालखाने में जमा किया गया था। उनका तर्क है कि, उन्होंने दो नमूने 'एस–1' और 'एस–2' भी तैयार किए हैं, जिनमें से प्रत्येक में उस समरूपित गांजा से 50 ग्राम है। उक्त प्रतिबंधित पदार्थ गांजा को कृष्णा साहू (अ.सा. 7) द्वारा दिनांक 11–8–2019 को जब्त किया गया था, परंतु तालिका (प्र.पी.–7) तहसीलदार क्षमा यदु (अ.सा. 6) द्वारा दिनांक 14–9–2019 को तैयार की गई, अर्थात जब्ती की तिथि से लगभग एक माह से अधिक समय पश्चात।

12. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई कि तलाशी और जब्ती, जब्त गांजे की तालिका तैयार करना और नमूना लेना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है और यहां तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित भी नहीं कराया गया है।

13. उपरोक्त तर्क के परीक्षण हेतु, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क(2), (3) व (4) के प्रावधानों का संदर्भ लेना सुसंगत होगा, जो जब्ती की प्रक्रिया और तरीके, जब्त सामग्री की तालिका तैयार करने, उसे अग्रेषित करने और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा तालिका प्रमाणित कराने का प्रावधान करता है। इसमें

आगे प्रावधान है कि जब्त पदार्थ की तालिका या चित्र और उसके संबंध में तैयार किए गए नमूनों की कोई भी तालिका मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की जाएगी और इसे एनडीपीएस अधिनियम के अधीन दर्ज अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाएगी।

14. सुविधा हेतु, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 की सुसंगत उपधारा नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

> **"52 क. अभिगृहीत स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का व्ययन–**
>
> (1) ... ...
>
> (2) जहां कोई [स्वापक ओोषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] को अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी [स्वापक ओपधियों, मनप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, गुणवत्ता, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसे [स्वापक ओषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों,नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] या पैकिंग को, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक ओषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] की पहचान के लिए सुसंगत समझे और
>
> (क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए ; या
>
> (ब) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में [ऐसी ओषधियों या पदार्थों या हस्तांतरणों] के फोटोचित्र लेने औरे ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए ; या
>
> (ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए ऐसे लिए गए नमूनों की किसी तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए।
>
> (3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, [स्वापक ओपधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] के फोटोचित्रों और नमूनों की तालिका को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा ।]"

15. जैसा कि पूर्व भी व्यक्त किया गया है, उपर्युक्त प्रावधानों को सरल पठन से ज्ञात होता है कि जब कोई प्रतिबंधित/मादक पदार्थ जब्त किया जाता है और उसे पुलिस या धारा 53 के अधीन उल्लिखित अधिकारी को भेजा जाता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी जब्त पदार्थ की गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के ढंग, संख्यांक और पहचान चिह्नों जैसे ब्योरे और विवरण सहित इसकी तालिका तैयार करेगा और फिर इसकी सत्यता प्रमाणित करने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसे पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की स्वीकृति देने और इस प्रकार लिए गए नमूनों की तालिका की सत्यता प्रमाणित करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जैसा कि पूर्व पैराग्राफ में बताया गया है, साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में जब्ती करने, नमूना लेने, तालिका तैयार करने और संबंधित मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराने के दौरान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क की उपधारा (2), (3) और (4) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। साक्ष्य से स्पष्ट है कि नमूने विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू (अ.सा. 7) द्वारा स्वयं लिए गए थे और लिए गए नमूनों की तालिका भी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। यहां तक कि तहसीलदार क्षमा यदु (अ.सा. 6) द्वारा चिह्नित नमूने एक्स. एस–1 और एस–2 की भी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशला से परीक्षण नहीं कराया गया, बल्कि सुखदेव सिंह ध्रुव (अ.सा. 1) के कथन के अनुसार विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू (अ.सा. 7) द्वारा तैयार और चिह्नित नमूना एक्स. एक्स–1 न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशला को भेजा गया, जिसके आधार पर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशला रिपोर्ट प्र.पी.–74 प्राप्त की गई है।

17. इस प्रकार, निर्विवाद रूप से, इस प्रकरण में, जब्त किए गए पदार्थों के नमूने पुलिस द्वारा लिए गए थे, परंतु यह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं था। अभियोजन द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि मजिस्ट्रेट ने जब्त किए गए पदार्थों की तालिका या लिए गए नमूनों की तालिका को प्रमाणित किया है।

18. यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध मोहनलाल व एक अन्य (2016) 3 एससीसी 379 में प्रतिवेदित प्रकरण में , माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क से निपटान करते हुए स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के

बाद, इसे या तो निकटतम थाना प्रभारी अधिकारी को या धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, जो जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की तालिका तैयार करने और फिर इसकी सत्यता प्रमाणित करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के लिए बाध्य है। यह आगे निर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए नमूने और प्रमाणित होने पर उनकी तालिका ही मुकदमे के उद्देश्यों के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करेगी।

19. यूसुफ उर्फ आसिफ विरुद्ध राज्य (2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1328) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "16. यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य न होने के कारण कि जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान के नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए गए थे और जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान की तालिका मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई थी, यह स्पष्ट है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान और उनसे लिए गए नमूने मुकदमे में प्राथमिक साक्ष्य का वैध भाग नहीं होंगे। एक बार जब कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो विचारण पूर्णतः विफल हो जाता है।
>
> 17. तदनुसार, हमारा मानना है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता दोषसिद्धि को विफल करती है और इस प्रकार हमारे अभिमत में अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय और साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा उसे 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किए जाने के आपेक्षित निर्णय व दण्डादेश को अपास्त किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. हाल ही में, **भारत आंबले विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य** (विशेष अनुमति याचिका (दा.) 14420/2024 से प्रोद्भूत दाण्डिक अपील क्रमांक 250/2025 में दिनांक 06.01.2025 को पारित निर्णय) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52क या उसके अंतर्गत नियमों/स्थायी आदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का गैर–अनुपालन या विलंबित अनुपालन न्यायालय को अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है, परंतु ऐसा न करना अभियोजन के प्रकरण हेतु घातक नहीं

होगा, जब तक कि तात्विक साक्ष्य में विसंगतियां न हों। इस संबंध में भारत आंबले का प्रकरण (पूर्वोक्त) के पैरा 26 व 27 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:–

> "26. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क या उसके अंतर्गत नियम/स्थायी आदेश के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का गैर–अनुपालन या विलंबित अनुपालन न्यायालय को अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। यद्यपि, इस बारे में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है कि ऐसा निष्कर्ष कब निकाला जा सकता है, और यह सब प्रत्येक प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क या उसके अंतर्गत स्थायी आदेश/नियम से ऐसा विलंब या विचलन अभियोजन के प्रकरण के लिए अपने आप में घातक नहीं होगा, जब तक कि तात्विक साक्ष्य में विसंगतियां न हों जो अनुपालन किए जाने पर नहीं हो सकती थीं। यह आवश्यक है कि न्यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तात्विक साक्ष्य में मौजूद विसंगतियों का समग्र और संचयी दृष्टिकोण अपनाएं और उन्हें किसी भी प्रक्रियागत चूक या विचलन के साथ सहसंबंधित या संबद्ध करें। इस प्रकार, जब भी कोई विचलन होता है धारा 52 क के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन न करने पर, न्यायालयों को अभियोजन के प्रकरण में मौजूद विसंगतियों को विचार में रखते हुए इसकी विवेचना करना आवश्यक है। प्रक्रियात्मक त्रुटि या कमी के ऐसे प्रकरणों में, न्यायालयों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और विसंगतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए या दरकिनार नहीं करना चाहिए, बल्कि अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का और भी अधिक सख्ती से जांच करनी चाहिए ताकि वे पहले स्थान पर ऐसी सामग्री के कब्जे, जब्ती या वसूली के पहलुओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकें।
>
> 27. ऐसी परिस्थितियों में, विशेष रूप से जहां पुलिस की ओर से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में या अभियोजन द्वारा इसके अनुपालन को पर्याप्त रूप से साबित करने में चूक हुई है, न्यायालयों के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के अधीन अवैध सामग्री के कब्जे से अपराध के होने की वैधानिक धारणा का सहारा लेना उचित नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री से अभियुक्तों से ऐसी सामग्री की जब्ती या वसूली के संबंध में अन्यथा संतुष्ट न हो। इसी प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने में किसी भी विफलता के बावजूद, यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर अन्य सामग्री अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और कब्जे दोनों के संबंध में न्यायालय को विश्वास दिलाती है और संतुष्ट करती है, तो ऐसे प्रकरणों में भी, न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 क के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ सकती हैं।

21. इस प्रकरण में, जैसा कि ऊपर विमर्श किया गया है, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, तलाशी और जब्ती के साथ–साथ अन्य कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों मुजीब उस्मान और जेरेमिया मसीह से अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है, यहां तक कि अनित कुंजाम, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने कथित प्रतिबंधित पदार्थ गांजा का वजन किया था, का भी परीक्षण नहीं कराया गया है। विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू (अ.सा. 7) ने कथन किया है कि, घटनास्थल पर कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत, उसने उक्त गांजा को अन्य जब्त सामग्री के साथ मालखाना में जमा कर दिया था, जिसे मालखाना मुहर्रिर, थाना केशकाल को सौंप दिया था और रसीद प्र.पी.–68 प्राप्त की थी, परंतु न तो उक्त प्रधान आरक्षक सत्येंद्र दमक, मालखाहा मुहर्रिर का परीक्षण कराया गया है और न ही प्र.पी.–68 को उस व्यक्ति द्वारा साबित किया गया है, जिसने अपने हस्ताक्षर करके उक्त रसीद तैयार की थी। इस दस्तावेज में विवेचना अधिकारी कृष्णा साहू (अ.सा. 7) के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने उक्त वस्तुएं जमा की थीं। आरक्षक सुखदेव सिंह ध्रुव (अ.सा. 1), जिन्होंने कथित गांजा को मालखाना थाना केशकाल से प्राप्त करने के बाद जमा किया था, ने अपने प्रतिपरीक्षण पैरा 5 में बचाव पक्षकार के अधिवक्ता के सुझाव को स्वीकार किया है कि, नमूना सील एक्स–1 के साथ उन्हें नहीं सौंपी गई थी और उन्होंने उस नमूना सील को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशला में जमा नहीं किया है, जबकि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशला द्वारा उन्हें दी गई रसीद (प्र.पी.–6) से ज्ञात होता है कि कथित एक्स–1 को उन्होंने सील के साथ जमा किया था। इस प्रकार, अभियोजन के साक्ष्य की विभिन्न विसंगतियां और घोर कमी है, इसलिए, एनडीपीएस की धारा 52 क के प्रावधानों का अनुपालन न करना अभियोजन के प्रकरण की विश्वसनीयता को भारी क्षति पहुंचाता है। इस प्रकार, यह पाया गया कि अभियोजन अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और विचारण न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii) (ग) के अधीन अपराध कारित करने हेतु अपीलार्थीगण सिद्धदोष व दण्डित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, अतः आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. फलस्वरूप, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम(एनडीपीएस),1985, कोंडागांव द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 15/2019 में दिनांक 6–2–2024 को पारित दोषसिद्धि व दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वे जेल में निरुद्ध हैं। यदि किसी अन्य प्रकरण में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें अविलंब रिहा किया जाए।

23. अपीलार्थीगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 के परिपालन में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

24. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि व मूल अभिलेख अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विशेष न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur